न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 1152 / 2003 / उदयपुर

1– श्री ठाकुर जी चारभुजा जी जरिये उपायुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर व्यवस्थापक, जरिये प्रभारी अधिकारी निरीक्षक, देवस्थान विभाग उदयपुर।
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर

.....अपीलार्थीगण

बनाम

पन्नालाल पुत्र रखबदास महाजन के बजाय :–
1. चोकचन्द पुत्र पन्नालाल
2. श्रीमति चमनीबाई बेवा पन्नालाल
3. श्रीमति शंकरबाई पुत्री पन्नालाल
4. श्रीमति लीलाबाई पुत्री पन्नालाल
5. श्रीमति मंजूबाई पुत्री पन्नालाल
6. अमरचंद पुत्र भूरीलाल

समस्त जाति महाजन निवासी गांव बोरी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

..... प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, सदस्य
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :
श्री एस.पी.औझा, अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री अजीत लोढा, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

दिनांक

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–12–02 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील ज्ञापन के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट वादी पन्नालाल ने एक राजस्व वाद खातेदारी घोषणा एवं चिर–स्थाई निषेधाज्ञा का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत न्यायालय सहायक कलेक्टर मु0 उदयपुर के समक्ष अपील ज्ञापन में

अंकित विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी बौरी तहसील गिर्वा में स्थित है, जिसके खसरा नम्बर साबिक 535, 538 कुल 1 बीघा 16 बिस्वा है, और हाल खसरा नंबर 1755, 1756, 1762 कुल रकबा 0.3700 हैक्टर बने है। उक्त आराजी माफी पूजनार्थ थी। जिसके मालिक हासिल ठाकुर चारभुजा गडबौर थे, तथा खड़मदार वादी के मौरूस थे, संवत् 1992 के बन्दोबस्त में मालिक हासिल के कॉलम में चारभुजाजी तथा खातेदारी के कॉलम में रखबदास वल्द उमजी सा. देह दर्ज हुए, तभी से काबिजकाश्त है। हाल बन्दोबस्त सन् 1983 में हुआ, उस वक्त ए. एस. ओ. ने दिनांक 27.12.83 को वादीगण का नाम विलोपित कर माफी मंदिर चारभुजाजी का नाम दर्ज कर दिया, तथा उनका नाम बतौर व्यवस्थापक दर्ज किया, तत्पश्चात् जमाबन्दी में नाम हटा दिया एवं नामान्तरण सं० 59 खोला गया जिसके विरुद्ध उप–खण्ड अधिकारी के समक्ष अपील पेश की, जो दिनांक 06.12.93 को खारीज कर दी गई। अतः वादी रेस्पोडेंट को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित कर अपीलान्ट प्रतिवादी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर मु0 उदयपुर ने उभय पक्ष को सुनकर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये वादी रेस्पोडेंट का वाद साबित न होने की स्थिति में निर्णय व डिक्री दिनांक 28–6–01 द्वारा खारिज कर दिया।

3– परीक्षण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेंट वादी ने प्रथम अपील, न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की। न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30–12–02 द्वारा प्रत्यर्थी वादी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 30–12–02 से व्यथित होकर यह हस्तगत द्वितीय अपील अपीलार्थी द्वारा राजस्व मण्डल में पेश की गई है।

4– उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

5– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा राजस्व रिकोर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजात आदि का पूर्ण विश्लेषण एवं विवेचन करते हुये तनकीवार निर्णय पारित किया था। जबकि अपीलीय न्यायालय का निर्णय कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि वादग्रस्त भूमि माफी पूजनार्थ थी और चारभुजा जी स्थान गडबौर के नाम थी और मूर्ती मन्दिर शाश्वत् नाबालिग होने पर उसकी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदत नहीं किये जा सकते है। इस कारण उक्त भूमि को सही रूप से मूर्ती मन्दिर की मानते हुए वाद को विचारण न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था किन्तु राजस्व अपील अधिकारी ने विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दावा

डिक्री करने में भारी भूल की है। राजस्व अपील अधिकारी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि वादग्रस्त भूमि मूर्ती मन्दिर की माफीदारी एंव खातेदारी में थी तथा यह भूमि उसकी खुदकाश्त की थी तथा प्रति०/वादी की स्थिति महज एक व्यवस्थापक की थी, जो कृषक की श्रेणी में नहीं आता है। इस कारण वादी को राज० भूमि सुधार एंव जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत् एंव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है, किन्तु राजस्व अपील अधिकारी ने अपील को स्वीकार कर दावा डिक्री करने में भारी भूल की है। उनका यह भी कथन है कि अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि वादग्रस्त भूमि मूर्ती मन्दिर की भूमि थी और उक्त भूमि उसकी खुदकाश्त की मानी जाती है। इसलिए खुदकाश्त की भूमि पर पुजारी अथवा अन्य किसी व्यक्ति को कोई खातेदारी अथवा हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा मौजूदा प्रकरण में वादग्रस्त भूमि मूर्ती मन्दिर की खातेदारी में दर्ज थी तथा वादीगण/प्रतिवादी की हैसियत महज् एक पुजारी व व्यवस्थापक की थी। इस कारण उन्हें कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है किन्तु अपीलीय न्यायालय ने नियमों से परे वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त होना मानते हुए दावा डिक्री किया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा आवश्यक तनकियात कायम की जाकर सभी तनकियों पर विस्तृत विवेचन करते हुये वाद खारिज किया है जबकि अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को नजरअदांज करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुये विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत अपील स्वीकार की है। अपीलीय न्यायालय ने गैर कानूनी रूप से वादी प्रत्यर्थीगण की अपील स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। अतः यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

6— उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अभिकथन किया कि वादी रेस्पोडेंट ने सहायक कलेक्टर मु0 उदयपुर के समक्ष घोषणा व स्थाई निषेधज्ञा का वाद पेश कर निवेदन किया कि गांव बौरी तहसील गिर्वा में साबिक आराजी नंबर 535 रकबा 3 बिस्वा एवं 538 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा कुल रकबा 1 बीघा 16 विस्वा जिसके हाल आराजी नंबर 1755 रकबा 0.0200 हैक्टयर, 1756 रकबा 0.1800 हैक्टयर एवं 1762 रकबा 0.1700 हैक्टयर कुल रकबा 0.3700 हैक्टयर बने। यह भूमि माफी पूजनार्थ की भूमि है तथा वादी खडमदार काश्तकार हैं। संवत् 1992 में मेवाड राज्य में पैमाईश हुई तब यह भूमि मालिक हासिल के खाने में श्री चारभुजा जी स्थान गढबोर का नाम तथा खातेदार के कॉलम में वादी के मौरूसी का नाम दर्ज हुआ। राज्य सरकार के 1991 में आदेश क्रमांक/2/4/राज/4/90 दिनांक 13—12—91 की पालना में वादी का नाम विलोपित कर दिया । पैमाईश के दौरान इस नोटीफिकेशन में मूर्तियों के पुजारियों के नाम को विलोपित करने का प्रावधान है। वादी काश्तकार था। अतः वादी का नाम नहीं हटाया जा सकता था। ई. एक्स 1 संवत् 1992 जमाबन्दी की नकल, ई. एक्स 3 संवत् 2032 से 2035 की जमाबंदी पेश की

जिसमें खातेदार के कॉलम में वादी का नाम दर्ज है। ई. एक्स 2 खसरा मिलान, ई. एक्स. 4 नोटीफिकेशन की नकल, ई. एक्स. 5 धारा 80 का नोटिस पेश किया तथा 4 गवाहों के बयान करवायें । विचारण न्यायालय ने विवादित भूमि को मूर्ति की भूमि मानकर दावा खारिज किया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों एंव वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की स्पष्ट विवेचना करते हुये निर्णय पारित किया तथा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर वादी की अपील स्वीकार कर वाद डिक्री करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णय में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने आरबीजे 2016 पेज 115, आरबीजे 2015 पेज 486 एचसी, आरआरटी 2015(2) पेज 868 एचसी, आरआरडी 2000 पेज 14, 109 व 570 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये जिनका ससम्मान अवलोकन व अध्ययन किया।

7— उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के रिकार्ड का अवलोकन व अध्ययन किया गया।

8— पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट वादी पन्नालाल द्वारा राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत न्यायालय सहायक कलेक्टर मु0 उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनकर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये वादी रेस्पोडेंट का वाद साबित न होने की स्थिति में निर्णय व डिक्री दिनांक 28—6—01 द्वारा खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेंट वादी ने प्रथम अपील, न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30—12—02 द्वारा स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 30—12—02 से व्यथित होकर यह हस्तगत द्वितीय अपील अपीलार्थी द्वारा राजस्व मण्डल में पेश की गई है। अपीलीय न्यायालय ने वादी का वाद डिक्री करने का मुख्य आधार यह लिया है कि जमाबन्दी संवत् 2032 से 35 के अनुसार खसरा नंबर 535 व 538 की खातेदारी भूरीलाल पिता मोडीलाल व पन्नालाल पिता रखबदास हिस्सा बराबर अंकित है। वादी पन्नालाल जो कि रखबदास का पुत्र है, विवादित भूमि के खातेदार दर्ज हैं, लेकिन भूरीलाल एवं उसका हाल पुत्र अमरचन्द्र रेस्पोडेंट सं.6 की खातेदारी केवल जमाबंदी संवत् 2032 से 35 से साबित होती है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नंबर 535 व 538 से हाल खसरा नंबर 1755, 1756 एवं 1762 बनना साबित है तथा वर्तमान में विवादित भूमि की खातेदारी श्री चारभुजा जी के नाम दर्ज है। पत्रावती में ई.

एक्स. 4 भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार प्रपत्र बाबत "मंदिरों की भूमियों के सम्बन्ध में तैयार होने वाली सूचना" महत्वपूर्ण है। इस प्रपत्र में गत भू–प्रबन्ध के एवं वर्तमान इन्द्राजों की तुलना की गई है। कॉलम संख्या 4 नाम खातेदार के कॉलम में रखबदास वल्द उंम जी महाजन दर्ज है तथा मालिक हासिल में अपीलांट/प्रतिवादी श्री चारभुजा जी का नाम दर्ज है। वर्तमान अंकन में नाम खातेदार के कालम में "भूरीलाल पिता मोडीलाल", पन्नालाल पिता रखबदास" दर्ज है तथा कालम 12 में सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी ने निर्णय दिनांक 12–12–83 द्वारा "श्री चारभुजा जी स्थान गढ़बोर खातेदार व खाना 4 अनुसार व्यवस्थापक का इन्द्राज कर दिया। सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी को गत जमाबन्दी संवत् 2032 से 35 के इन्द्राजों को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं था। यह निर्विवाद है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा अपने स्तर पर सेटलमेन्ट कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व की जमाबन्दी के इन्द्राजों को बिना सक्षम न्यायालय के आदेशों के परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय ने उक्त जमाबन्दी के इन्द्राज अवैध होकर प्रभाव शून्य माने हैं। अपीलीय न्यायालय ने राजस्व मंडल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में राज० भू–सुधार एवं जागीर अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9, 10 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 की व्याख्या जिसमें यह तय किया गया कि 1955 से पूर्व जिस व्यक्ति का नाम तत्समय के राजस्व अभिलेखों में "कृषक" दर्ज था वह धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार खातेदार हो गया तथा निष्कर्ष अंकित किया कि इस प्रकरण में वादी तो बतौर "खातेदार" ही दर्ज थे। अतः माफी अधिग्रहण के समय स्वतः ही वादी रेस्पोडेंट खातेदार हो गये।

9– विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम की गई तथा तनकी सं.1 के निष्कर्ष में यह अंकित किया है कि विवादित आराजी मेवाड़ बंदोबस्त के दस्तावेज के अनुसार मंदिर माफी पूजनार्थ दर्ज है। हासिल लेने वाले के कॉलम में श्री चारभुजा जी दर्ज है तथा खड़मदार/खातेदार के कॉलम में वादीगण दर्ज है। मंदिर अव्यस्क है और उसकी खातेदारी की आराजी पर किसी पक्ष को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। वर्तमान राजस्व अभिलेख में विवादित आराजी मंदिर माफी के नाम दर्ज है तथा वर्तमान में कब्जा किसी दस्तावेजीय साक्ष्य से वादीगण ने साबित नहीं कराया। ऐसी स्थिति में तनकी सं.1 वादी के विरूद्ध निर्णित की गई। तनकी सं. 2, 3 व 4 को तथ्यात्मक होकर दस्तावेजों से साबित माना है। तनकी सं. 5 प्रतिवादी के विरूद्ध तय की है तथा तनकी सं. 6 अनुतोष में वादीगण को खातेदारी हक प्रदान करने का अधिकारी नहीं माना है। विचारण न्यायालय ने विवादित आरजी को प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से माफी मंदिर श्री चारभुजा जी की खातेदारी की मानते हुये वादी का वाद खारिज किया है। वाद में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रदर्श 1 मेवाड बंदोबश्त विभाग की जमाबंदी संवत् 1992 है जिसके अनुसार ''नाम मालिक हासिल'' के कॉलम में श्री चारभुजा जी स्थान गढबोर दर्ज है तथा ''खातेदार के नाम''

के कॉलम में रखबदास वल्द ओमजी महाजन दर्ज है। कैफियत के कॉलम में ''माफी पूजनार्थ'' दर्ज है। इस दस्तावेज से यह प्रमाणित होता है कि विवादित आराजी वादीगण को माफी पूजनार्थ दी गई थी और वादीगण की हैसियत ''कृषक'' की न होकर व्यवस्थापक की थी। वादीगण ने विवादित भूमि पर काश्त करने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत है।

10— विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुये साक्ष्यों का समुचित विस्तृत विवेचन व विश्लेषण करते हुये दावा खारिज किया था जिसमें कोई तात्विक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। जब तक वादी अपने वाद को साबित नहीं करता उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भू प्रबंध के दौरान किये गये परिवर्तन को अधिकार क्षेत्र से बाहर मानते हुये पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का समुचित विवेचन किये बिना परीक्षण न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुये वादी का वाद डिक्री कर वादी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया है जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत तथ्यों के भिन्नता के कारण हस्तगत् प्रकरण पर लागू नहीं होते है।

11— वादीगण का वाद सिद्ध नही होने की स्थिति में ही परीक्षण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन व विश्लेषण के साथ तनकीवार निष्कर्ष अंकित कर वादी का वाद खारिज किया है किंतु अपीलीय न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को सही आलोक में नहीं देखकर वादी की अपील स्वीकार कर वादी का वाद डिक्री करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त किया है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। अतः द्वितीय अपील स्वीकार योग्य है।

12— उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत् अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30—12—02 को निरस्त किया जाता है तथा सहायक कलेक्टर, मु. उदयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28—6—01 को बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष